Mard

# म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
## 26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क/बी–6/नियमन/कृ.उत्पादन/382 भोपाल, दिनांक 24/12/2021

प्रति

1– संयुक्त संचालक (समस्त)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ———————।

2– सचिव (समस्त),
कृषि उपज मंडी समिति
—————————— ज़िला ———

विषय – जैविक कृषि उत्पाद की विपणन व्यवस्था सुनिश्चित कराने के संबंध में।

कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 09.11.2021 में जैविक कृषि उत्पाद की विपणन व्यवस्था बावत निर्देश दिए गए है, जिसके अनुक्रम में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे :–

1 मंडी बोर्ड के पत्र कमांक/बी–6/नियमन/225/410 दिनांक 26.02.2010 से प्रसारित निर्देश के अनुसार प्रत्येक मंडी प्रांगणों में जैविक कृषि उत्पाद विक्रय हेतु शेड/प्लेटफार्म पर स्थान आरक्षित किया जाये, इस आरक्षित स्थान पर बोर्ड लगाकर प्रमाणित जैविक उत्पाद की उपज की आवक, न्यूनतम एवं उच्चतम विक्रय दर प्रदर्शित की जाये, मण्डी प्रांगण मे प्रमाणित जैविक उत्पाद की विपणन व्यवस्था की उपलब्धता बावत व्यापक प्रचार–प्रसार करने के साथ ही जैविक उत्पाद आने पर घोष नीलामी के द्वारा विक्रय कर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करे। उक्त पत्र की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

2 मण्डी बोर्ड के आदेश कमांक/बी–6/नियमन/2829 दिनांक 06.11.2019 के आधार पर उपविधि मे दिनांक 07.12.2019 से हुये संशोधन के आधार पर जैविक उत्पाद के अनुबंध एवं सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय और उसकी निर्धारित प्रारूप मे तौल पर्ची जारी करने की व्यवस्था का कियान्वयन सुनिश्चित करे। उक्त पत्र की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

3 मण्डी बोर्ड के द्वारा ई–अनुज्ञा पोर्टल पर सभी कृषि उपज की वैरायटी मे "जैविक" का समावेश किया गया है। मण्डी प्रांगण मे प्रमाणित जैविक उत्पाद का विक्रय होने पर बिन्दू कमांक 02 के अनुसार दस्तावेज जारी करना और ई–अनुज्ञा पोर्टल पर वैरायटी मे जैविक को अनिवार्य रूप से दर्ज करना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

अत्यावश्यक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड़ भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/225/ 310 भोपाल, दिनांक 26/02/2010

प्रति,

उप संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा

विषयः–कृषि उपज मण्डी समितियों में किसानो द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के विपणन के संबंध में।

प्रदेश के किसानो को जैविक उत्पादन के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत उन्हें जैविक कृषि उत्पादों के विक्रय हेतु समुचित सुविधा मंडी प्रांगण में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुऐ अपने संभाग के समस्त मंडी प्रांगणों एवं उपमंडी प्रांगणों में अधिसूचित कृषि उपज के प्रमाणित जैविक उत्पादन के विक्रय के लिये तत्काल निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करें :–

(1) मंडी प्रांगण के प्लेटफार्म पर प्रमाणित जैविक उत्पाद के विक्रय हेतु स्थान आरक्षित किया जाये।

(2) प्रमाणित जैविक उत्पादन के लिये आरक्षित स्थान पर बोर्ड भी लगाया जावे। जिस पर इन उपजों की आवक एवं न्यूनतम व उच्चतम विक्रय दर दर्शाई जावे।

(3) कृषकों को प्रमाणित जैविक उत्पाद का घोष नीलामी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक उचित मूल्य दिलवाया जाये।

कृषकों द्वारा मण्डी प्रांगणों में प्रमाणित जैविक उत्पादन के विक्रय हेतु उपलब्ध सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके इसके लिये मंडियों में की गई विपणन व्यवस्था का व्यापक प्रचार एवं प्रसार भी किया जावे।

उपरोक्त संबंध में कृत कार्यवाही का मंडीवार प्रतिवेदन मुख्यालय को 10 दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।

(प्रबंध संचालक महो. के अनुमोदन से)

(हस्ताक्षर) 26/2/010
अपर संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

**मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड**
**किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल**

क्रमांक/बी-6/नियमन/उपविधि/2829 भोपाल, दिनाँक 06/11/2019

## आदेश

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 81 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में अधिसूचित कृषि उपजों की बेहतर नियमन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से कृषि उपज मण्डी समितियों से यह अपेक्षा करते हुए, निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समिति का सम्मेलन आहूत कर, मण्डी समितियों के लिए लागू उपविधि सन 2000 के संबंध में संलग्न अनुसार नवीन/संशोधित प्रावधान अनिवार्य रूप अन्तःस्थापित करें,

- संशोधित **प्ररूप-एक, अनुबंध पत्र;**
- संशोधित **प्ररूप-दो, सौदा पत्रक;**
- संशोधित **प्ररूप-दो(अ), क्रय केंद्र पर उपयोग हेतु सौदा पत्रक;**
- संशोधित **प्ररूप-तीन, तौल पर्ची;**
- संशोधित **प्ररूप-चार, भुगतान पत्रक.**

मण्डी समिति मे सम्मेलन आहूत करने की विनिर्दिष्ट कालावधि मे मण्डी समिति द्वारा उपविधि एवं प्ररूपों को उपरोक्तानुसार संशोधित करने मे असफल रहने की स्थिति मे उपविधि एवं प्ररूप के उक्त संशोधन इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनांक 07/12/2019 से मण्डी समिति पर आबद्धकर होगे।

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/ उपविधि/2830 भोपाल, दिनाँक 06 / 11 /2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म प्र शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त/उपसंचालक म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
4. चीफ प्रोग्रामर म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल। उक्त संशोधन आदेश को मंडी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही पूर्व से वेबसाइट पर उपलब्ध उपविधि में आवश्यक संशोधन कर अद्यतन करने तथा ई-अनुज्ञा/ई-मंडी पोर्टल पर प्ररूपों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही करने का कष्ट करें ।
5. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)।
6. गार्ड फाइल।

प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्ररूप – एक

## अनुबंध पत्र

(उपविधि 16 (4) के अंतर्गत)

**कृषि उपज मंडी समिति ____________ जिला ____________**

अनुबंध क्रमांक ____________

दिनांक ____________

पुस्तिका क्रमांक ____________

| कृषि उपज का नाम | कृषि उपज की किस्म/ वैरायटी | क्या कृषि उपज "जैविक उत्पाद" है ? हाँ/ नहीं (प्रमाणपत्र अनिवार्य) | क्या कृषि उपज ग्रेडिंग/सॉर्टिंग की हुई है ? हाँ/ नहीं (प्रमाणपत्र अनिवार्य) | यदि हाँ तो, कृषि उपज का ग्रेड | कृषि उपज की अनुमानित मात्रा | विक्रेता/कृषक का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर | क्रेता या उसके अभिकर्ता का नाम एवं अनुज्ञप्ति क्रमांक | कृषि उपज के बोरा पात्र का विवरण | घोष विक्रय में प्राप्त अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

मंडी कर्मचारी के हस्ताक्षर

नोटः- **(1)** अनुबंध कराया जाता है कि ऊपर लिखित कृषि उपज क्रय करने के लिए क्रेता एवं विक्रय करने के लिए विक्रेता/कृषक अनुबद्ध है । क्रेता द्वारा सीधे विक्रेता/कृषक को कृषि उपज को लेने से इन्कार नहीं किया जायेगा । अपितु उपविधि 17(8) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । अनुबंध का उल्लंघन करने पर क्रेता की अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द करने के दायित्वाधीन होगी ।

**(2)** विक्रेता/कृषक को अनुंबंध पत्रक/सौदा पत्रक के अनुसार कृषि उपज के तौल के दिन ही क्रेता द्वारा सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जाएगा। उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा में आगामी दिन एक प्रतिशत की दर से 5 दिन तक पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भुगतान के साथ भुगतान किया जाएगा।

**(3)** उसी दिन भुगतान प्राप्त नहीं होने की दशा में विक्रेता/कृषक मंडी समिति पांच दिन की अवधि में सूचित करेगा । पांच दिन बाद शिकायत दर्ज नहीं होगी।

हस्ताक्षर मंडी कर्मचारी

प्ररूप-दो

# सौदा पत्रक

(उपविधि 16 (4) के अंतर्गत)

कृषि उपज मंडी समिति ____________ जिला ____________

अनुक्रमांक ____________ पुस्तिका क्रमांक ____________

दिनांक ____________

| क्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति क्रमांक | विक्रेता/कृषक का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर | कृषि उपज का नाम | कृषि उपज की किस्म/ वैरायटी | क्या कृषि उपज "जैविक उत्पाद" है ? हाँ/ नहीं (प्रमाणपत्र अनिवार्य) | क्या कृषि उउज ग्रेडिंग/ सॉर्टिंग की हुई है ? हाँ/ नहीं (प्रमाणपत्र अनिवार्य) | यदि हाँ तो, कृषि उपज का ग्रेड | कृषि उपज की मात्रा | दर | नमूने का वजन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

क्रेता के हस्ताक्षर विक्रेता/कृषक के हस्ताक्षर

मंडी कर्मचारी का नाम

पदनाम

हस्ताक्षर

नोटः -सौदे की शर्तें

(1) विक्रेता/कृषक को अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के अनुसार कृषि उपज के तौल के दिन ही क्रेता द्वारा सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जाएगा। उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा में आगामी दिन एक प्रतिशत की दर से 5 दिन तक पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भुगतान के साथ भुगतान किया जाएगा।

(2) उसी दिन भुगतान प्राप्त नहीं होने की दशा में विक्रेता/कृषक मंडी समिति पांच दिन की अवधि में सूचित करेगा ।

(3) पांच दिन बाद शिकायत दर्ज नहीं होगी।

प्ररूप-दो (अ)

## क्रय केंद्र पर उपयोग हेतु सौदा पत्रक

(उपविधि 34 के अंतर्गत)

अनुक्रमांक ____________

दिनांक ____________

पुस्तिका क्रमांक ____________

**क्रय केन्द्र का नाम/स्थान** ____________

| विक्रेता/कृषक का नाम, पता एवं [illegible] | क्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति [illegible] | कृषि उपज [illegible] | कृषि उपज की [illegible] वेरायटी | क्या कृषि उपज "जैविक उत्पाद" है ? [illegible] (प्रमाणपत्र अनिवार्य) | क्या कृषि उपज ग्रेडिंग/ सॉर्टिंग की हुई है ? (प्रमाणपत्र अनिवार्य) | यदि हाँ तो, कृषि ग्रेड | कृषि उपज | दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

केंद्र प्रभारी के हस्ताक्षर

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/कृषक के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

नोटः -सौदे की शर्तें

(1) विक्रेता/कृषक को अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के अनुसार कृषि उपज के तौल के दिन ही क्रेता द्वारा सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जाएगा। उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा में आगामी दिन एक प्रतिशत की दर से 5 दिन तक पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भुगतान के साथ भुगतान किया जाएगा।

(2) उसी दिन भुगतान प्राप्त नहीं होने की दशा में विक्रेता/कृषक सचिव मंडी समिति/ केंद्र प्रभारी को तत्काल लिखित शिकायत कर पांच दिन की अवधि में सूचित करेगा । परन्तु पांच दिन बाद शिकायत मान्य/दर्ज नहीं होगी।

प्रारूप तीन -

(उपविधि क्रमांक 17 (3) के अंतर्गत)

## कृषि उपज मंडी समिति ____________ जिला ____________

### तौल पर्ची

दिनांक ____________

तौल पर्ची क्रमांक ____________

पुस्तिका क्रमांक ____________

1 अनुबंध क्रमांक ..............................

2 क्रेता का नाम ..............................

3 कृषि उपज का नाम ..............................

4 **कृषि उपज की किस्म/ वैरायटी** ..............................

5 **क्या कृषि उपज "जैविक उत्पाद" है ? हाँ/ नहीं** ..............................
**(प्रमाणपत्र अनिवार्य)**

6 **क्या कृषि उपज ग्रेडिंग/ सॉर्टिंग की हुई है ? हाँ/ नहीं** ..............................
**(प्रमाणपत्र अनिवार्य)**

7 **यदि हाँ तो, कृषि उपज का ग्रेड** ..............................

8 बोरो की संख्या ..............................

9 वास्तविक वजन ..............................

तुलैया का अनुज्ञप्ति क्रमांक
तथा तुलैया के हस्ताक्षर

प्रारूप-चार

## भुगतान-पत्रक

(धारा 37(2), उपविधि 17(4),17(5),के अन्तर्गत)

1. दिनांक .......................... पुस्तिका क्रमांक ..........................
2. क्रेता का नाम एवं लायसेंस नम्बर ..........................................................
3. विक्रेता/कृषक का अनुबंध पत्रक क्रमांक/सौदा पत्रक क्रमांक ..........................................................
4. विक्रेता/कृषक का नाम ..........................................................
5. **विक्रेता/कृषक का पता एवं मोबाइल नंबर ..........................................................**

| कृषि उपज का नाम | कृषि उपज की किस्म/ वैरायटी | क्या कृषि उपज "जैविक उत्पाद" है ? हाँ/ नहीं (प्रमाणपत्र अनिवार्य) | क्या कृषि उपज ग्रेडिंग/ सॉर्टिंग की हुई है ? हाँ/ नहीं (प्रमाणपत्र अनिवार्य) | यदि हाँ तो, कृषि उपज का ग्रेड | अनुबंध/ सौदा पत्रक के आधार पर वजन | तौल पर्ची के आधार पर वास्त-विक वजन | दर | कृषि उपज का मूल्य | विलंब से भुगतान की दशा में अतिरिक्त भुगतान | कुल मूल्य | उपविधि के अनुसार हम्माली की दर | कुल हम्माली जो मूल्य में से काटी जाएगी | विक्रेता/कृषक को भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | नगद भुगतान राशि | आरटीजीएस/एनईएफटी/ऑनलाईन बैंकिग से भुगतान राशि यूटीआर विवरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/कृषक के भुगतान प्राप्ति के हस्ताक्षर

नोटः (1) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(क)-मंडी प्रांगण मे क्रय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मण्डी प्रांगण मे किया जायेगा : धारा 37(2)(ख) - यदि क्रेता खण्ड (क) के अधीन भुगतान नही करता है तो वह विक्रेता को देय कृषि उपज की कुल कीमत के 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान पांच दिन के भीतर करने का दायी होगा : धारा 37(2)(ग) - यदि क्रेता उपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन विक्रेता को भुगतान के साथ अतिरिक्त भुगतान ऐसे क्रय के दिन से पांच दिन के भीतर नही करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति छठवें दिन को रदद् कर दी गई समझी जायेगी और उसे या उसके नातेदार (धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण मे विर्निदिष्ट अभिप्रेत अनुसार) को ऐसे रदद्करण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नही की जायेगी।

(2) क्रेता द्वारा विक्रेता/कृषक को किसी भी स्थिति मे भुगतान हेंतु चैक जारी नही किए जा सकेंगे।

(3) आरटीजीएस/एनईएफटी/ऑनलाईन बैंकिग के माध्यम से राशि विक्रेता/कृषक के खाते मे स्थानांतरण के प्रमाणीकरण स्वरूप संबंधित बैंक की जमा पर्ची, रसीद व यूटीआर नम्बर संलग्न करे।